बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद।
राष्ट्रीय/स्पर्द्धा/ई0 निविदा(एस0बी0डी0) आमंत्रण सूचना वर्षः 2017–18
निविदा संख्या–19/भ0प्र0औरंगाबाद/2017–18

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि :–दिनांक 30.10.2017
3. निविदा कागजात प्राप्ति की तिथि एवं समय :–दिनांक 22.11.2017 को अपराहन् 3 बजे तक
4. निविदा जमा की तिथि एवं समय :–दिनांक 23.11.2017 को अपराहन 3:00 बजे तक
5. निविदा बिक्री का स्थान :– केवल बेवसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर
6. प्री बीड मीटींग की तिथि :–दिनांक 13.11.2017 को अपराहन 3:00 बजे तक मुख्य अभियंत (द0) भवन निर्माण विभाग,बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष।
7. तकनीको बीड खोलने की तिथि :–दिनांक 24.11.2017 को अपराहन 3:00 बजे तक केवल बेवसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि :–दिनांक 04.12.2017 को अपराहन् 3:50 तक केवल बेवसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर
9. निविदा वैधता की तिथि 120 दिन

10. कार्य विवरणीः–

क0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	बीड प्रोसेसींग राशि +सर्विस टैक्स	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	औरंगाबाद जिला अर्न्तगत औरा में महिला आई0 टी0 आई0 का निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित)	109504704 (सिविल कार्य) + 11201894 (विद्युत कार्य)	2250000(परिमाण विपत्र 10 करोड़ तक का दो प्रतिशत + शेष का 1 प्रतिशत)	10000 /–	17250/–	18 माह

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की हो निविदा में भाग ले सकते है, परन्तु इस राज्य में संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन कराना, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एकारनामा के पूर्व कराना अनिवार्य होगा।

12. परिमाण विपत्र की राशि धट/ बढ़ सकती हैं तद्नुसार अग्रधन की राशि 10 करोड़ तक का 2ः प्रतिशत एवं शेष का 1 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।

13. कार्य की विषिष्टियों अथवा निविदा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार की पृच्छा या स्पष्टीकरण प्री–बीड़ मीटिंग की तिथि को, या उससे पूर्व की जा सकती हैं। उसके बाद निविदा से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. निविदा केवल ई – निविदा पद्वति के अनुसार वेबसाइट (www.eproc.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जायेगा। ई – निविदा प्रकिया से संबंधित जानकारी सहायता कक्ष ई–प्रोक्युरमेंट, हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट

नं0–एम / 22, राड़ नं0–25, श्री कृष्नानगर, बैंक ऑफ इण्डिया कम्पाउन्ड, पटना–8000001, फोन नं0–0612–2523006, मो0– 9939035696 से प्राप्त किया जा सकता है।

15. ई – निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा । वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निवंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा । संवेदक को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। User ID. Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई– निविदा में भाग ले सकेंगें।

16. निविदादाताओं का सिर्फ वेबसाईट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि–पत्र की जानकारी वेबसाईट से प्राप्त होगी।

17. बेलट्रोन को देय बीड प्रोसेसिंग शूल्क संवेदक Internet payment Gateway (Credit/Debit Card) अथवा Internet Banking or NEFT/RTGS Chalan के माध्यम से जमा करेंगे।

18. निविदा कागजात का मूल्य, (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रुप में, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल औरंगाबाद के पदनाम से औरंगाबाद में भुगतेय होना चाहिए। मूल बैंक ड्राफ्ट, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल औरंगाबाद अथवा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया अथवा मुख्य अभियंता, (दक्षिण) भवन निर्माण विभाग, पटना के कार्यालय में, निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड खोलने) के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

19. अग्रधन की राशि, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद के नाम से विधिवत् प्रतिज्ञित एवं निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम छह महीनों के लिए विधिमान्य, बिहार लोक निर्माण विभाग की संहिता के अनुसार जमा किया जाय। अग्रधन की राषि मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद अथवा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया अथवा मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड खोलने) के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

20. निविदा प्रपत्र बेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर में उपलब्ध है जिसे सिर्फ बेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

21. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत श्रामिक के लिए शेष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।

22. मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –1215 (अनु0), दिनांक– 28.03.2014 के द्वारा निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की गयी है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएँ अमान्य मानी जायेगी।

23. प्राक्कलन में निदेशित विशिष्टियों के अनुरूप मानक गुणवत्तापूर्ण कार्यो का ही भुगतान किया जाएगा। निर्माण कार्य में उपयोग होनेवाले प्रत्येक सामग्री के गुणवत्ता की संपुष्टि इंजीनियर इन चार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यो में करना हेागा।

24. आवंटन उपलब्ध होने पर ही एकरारनामा एवं अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। कार्य के दौरान आवंटन अनुपलब्ध होने की परिस्थिति में किये गये कार्य का भुगतान लंबित रहने एवं तदनुसार भुगतान में हुये विलंब के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

25. एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं करने पर बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधान के तहत संवेदक को निलंबन तथा काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

26. कार्य के ऐसे मदों जो बाद में छिप जायेगें या बाद में जिनकी नापी नहीं की जा सकती है, को मापी पुस्त पर सक्षम पदाधिकारी की संपुष्टि के उपरांत ही अग्रेत्तर कार्यवाई की जाएगी।

27. तीन वर्ष की अवधि तक कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होने पर संवेदक को स्वयं अपने खर्च पर ठीक करना होगा। अर्थात् इस कार्य हेतु डिफेक्ट लाईवलिटि अवधि तीन वर्ष होगी।

28. डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभागीय नियमानुसार अगली निविदा से डिबार करने एवं काली सूची में डालने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

29. निविदा से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात यथा बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/ सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, स्वयंअभिप्रमाणित करते हुए स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न कराना अनिवार्य है।

30. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद या अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया अथवा मुख्य अभियंता (दक्षिण) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

31. वाणिज्य कर विभाग, बिहार, द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में G.S.T. की कटौती की जायेगी। खनन विभाग, बिहार सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जायेगी, जो सभी संवेदकों के लिए मान्य होगा।

32. बिना कारण बताऐ निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईड www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल,औरंगाबाद।

ज्ञापांक ....(अनु0)/औरंगाबाद,/ दिनांक............................

प्रतिलिपिः– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को पॉच अतिरिक्त प्रतियों एवं सी0डी0 के साथ प्रकाशन हेतु अग्रसारित।

अनु0ः– यथोक्त।

कार्यपालक अभियता,
भवन प्रमण्डल,औरंगाबाद।

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–04.11.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–8761 दिनांक–03.11.2017 द्वारा निर्गमादेश।

HINDUSTAN, PATNA+GAYA
DAINIK BHASKAR, PATNA
AAJ, PATNA
QT, PATNA